वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3
संख्या– 123 /X –3–2012–8(14)2009
देहरादूनः दिनांक– 29 ~~दिसम्बर~~ जनवरी, 2012

कार्यालय ज्ञाप

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति की शर्तो के अनुपालन के क्रम में इस राज्य सरकार के शासनादेश संख्या 878/X–3–10–08(14)/2009, दिनांक 14 दिसम्बर, 2010 के अनुसार गौला नदी, शासनादेश संख्या 383/X–3–10–8(14)/2009, दिनांक 30 मई, 2012 के अनुसार शारदा नदी तथा शासनादेश संख्या 177/X–3–10–08(14)/2009, दिनांक 30 मई, 2012 के अनुसार कोसी व दाबका नदियों के नदी तल से उप खनिज चुगान के विषय में समग्र निधि (Corpus Fund)/विशेष उद्देश्य वाहिका (Special Purpose Vehicle) का गठन किया गया है। इस निधि/SPV में जमा निधि का उपयोग उप खनिज चुगान हेतु अनुमत वन भूमि के निकटवर्ती एवं चुगान प्रभावित क्षेत्र में River Training क्रियाकलापों तथा वन एवं वन्य जीव (Forest & Wild Life) के प्रबन्धन व संरक्षण हेतु उपयोग किया जायेगा। इस संबंध में गठित समग्र निधि/SPV के उपयोग, प्रबन्धन, प्रशासन तथा संचालन हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया है :–

2–वार्षिक कार्य योजनाः–

उक्त निधि के उपयोग हेतु वार्षिक कार्य योजना भारत सरकार द्वारा संसूचित तथा पूर्वोक्त प्रस्तर में उल्लिखित उद्देश्यों/कार्यों की पूर्ति हेतु तैयार की जायेगी। इस योजना को मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में शासन द्वारा गठित समिति के स्तर पर स्वीकृत किया जायेगा। इस संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं की परिपालना की जायेगी –

(i) सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का स्थलवार औचित्यपूर्ण विवरण तथा उनके लिये प्रस्तावित कार्यों पर होने वाले व्यय व भौतिक लक्ष्यों का विवरण वार्षिक कार्य योजना में उल्लिखित किया जायेगा।

(ii) आगामी वर्ष हेतु वार्षिक कार्य योजना प्रत्येक दशा में माह फरवरी में 15 फरवरी तक पूर्ण कर समिति के सम्मुख प्रस्तुत की जायेगी। उक्त प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजना को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व सम्बन्धित वन संरक्षक के स्तर पर यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा तथा प्रमाणित किया जायेगा कि प्रभागों का प्रस्ताव पूर्वोक्त वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक है तथा कार्यों हेतु प्रस्तावित दरें सक्षम स्तर से अनुमोदित दर अनुसूची/अधिप्राप्ति नियमावली व वित्तीय सिद्धान्तों के अनुसार है।

(iii) खनन की प्रश्नगत नदियों के उच्च कैचमैण्ट में स्थित प्रभागों द्वारा भी निधि से पूर्वोक्त उद्देश्यों/कार्यों की पूर्ति हेतु कार्य कराये जा सकेंगे, परन्तु उनके द्वारा पृथक से वार्षिक योजना बनाकर खनन लॉट के मूल प्रभाग की वार्षिक योजना के साथ समिति के सम्मुख अनुमोदन करने हेतु प्रस्तुत करना होगा।

Scanned with CamScanner

(IV) वार्षिक कार्ययोजना के निरूपण के लिए वन्य जीव प्रबन्धन, जल एवं मृदा संरक्षण, हाईड्रोलॉजी के विषयों में दक्षता रखने वाले विशेषज्ञ संस्थानों का मार्गदर्शन प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक कार्ययोजना के साथ प्रभागों द्वारा स्थलीय स्थिति को दर्शाने व प्रमाणित करने के लिए फोटोग्राफ तथा सम्बन्धित पुष्ट आंकड़े प्रस्तुत किये जायेंगे।

3—समिति की बैठक :—

(I) मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक में प्रत्येक प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना में वर्णित कार्यों एवं प्रस्तावित व्यय पर समीक्षा के उपरान्त यथावश्यक संशोधन/सुझाव के साथ वित्तीय वर्ष आरम्भ होने से पूर्व अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

(II) समिति की बैठकें प्रत्येक तीन माह में एक बार की जायेंगी तथा आवश्यकता पड़ने पर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा विशेष बैठक भी बुलाई जा सकेगी।

(III) बैठक का कोरम दो तिहाई (2/3 rd) सदस्यों की उपस्थिति में माना जायेगा।

4— कार्यों का विवरण :—

(I) उक्त समग्र निधि (Corpus Fund) से चुगान व उसके निकटवर्ती क्षेत्र में River Training क्रियाकलाप तथा वन व वन्य जीव के प्रबन्धन एवं संरक्षण से सम्बन्धी कार्यों की अनुमन्यता हेतु समिति द्वारा समय—समय पर मार्गदर्शक सूची निर्गत की जायेगी, जिसके आधार पर प्रभागों द्वारा वार्षिक कार्ययोजना के कार्य सम्मिलित किये जायेंगे।

(II) कार्पस निधि से सम्पन्न कराये गये सभी कार्यों का सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष फोटो अभिलेखीकरण कराना भी अनिवार्य होगा।

5—वित्तीय प्रक्रिया :—

(I) इन नदियों में उप—खनिज के चुगान से उत्तराखण्ड वन विकास निगम को प्राप्त लाभांश के निर्धारित घटक को समग्र निधि (Corpus Fund) के रूप में गठित कर पूर्व में स्थापित व्यवस्था के अधीन वन जमा (Forest Deposit) में डाला जायेगा व अलग मद के रूप में संचालित किया जायेगा।

(II) वार्षिक कार्य योजना के अनुसार तथा मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी की मांग पर सक्षम स्तर/वन संरक्षक द्वारा जारी स्वीकृति के उपरान्त निधि में जमा धनराशि का उपयोग प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

(III) उक्त समग्र निधि से व्यय के लिए समस्त वित्तीय नियमों/अभिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन किया जायेगा तथा प्रचलित वित्तीय नियमों के अनुसार समस्त लेखा अभिलेख संधारित किये जायेंगे। व्यय करने से पूर्व वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन तथा वित्तीय तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बन्धित सभी प्रचलित प्राविधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

(IV) उक्त निधि की अधिकतम 5 प्रतिशत धनराशि निधि से कराये गये कार्यों के अनुश्रवण व मूल्यांकन हेतु व्यय की जा सकेगी।

(V) उक्त निधि के सापेक्ष लेखा परीक्षा प्रत्येक वर्ष महालेखाकार द्वारा की जायेगी।

Scanned with CamScanner

6–अनुश्रवण एवं मूल्याँकन :–

कार्पस निधि के अन्तर्गत कराये गये समस्त कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन निम्नानुसार किया जायेगा :–

अ– विभागीय मासिक प्रपत्रों के माध्यम से।

ब– मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा।

स– क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा समय–समय पर निरीक्षण के माध्यम से।

योजना के अन्तर्गत कराये गये/कराये जाने वाले समस्त कार्यों का गहन अनुश्रवण व मूल्यांकन प्रत्येक छः माह में क्रमशः सितम्बर व मार्च में मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के स्तर से भी किया जाना आवश्यक होगा।

7–अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के संकेतक :–

उपरोक्त निधि से कराये गये वन्य जीव प्रबन्धन एवं वन संरक्षण आदि के समस्त कार्यों के अनुश्रवण हेतु प्रत्येक प्रभाग के अन्तर्गत स्थल विशिष्ट संकेतक निर्धारित किये जायेंगे। इन संकेतकों को प्रभाग की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किया जायेगा। योजना क्रियान्वयन के प्रथम वर्ष से आंकड़ों को निर्धारित रजिस्टर में अभिलेखित किया जायेगा एवं तद्नुसार आगामी प्रत्येक वर्ष में आंकड़े प्राप्त कर संधारित किये जायेंगे, जिससे योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के गुणात्मक प्रभाव का आँकलन किया जा सके। अनुश्रवण के मुख्य संकेतक निम्न प्रकार चिन्हित किये जा सकते हैं :–

क– वन्य जीवों के आवागमन एवं उपस्थिति में बदलाव।

ख– वन्य जीव अपराधों की स्थिति में परिवर्तन।

ग– क्षेत्र की जैव विविधता की स्थिति में बदलाव।

घ– जल स्रोतों की स्थिति।

च– निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव की स्थिति।

छ– जन सहयोग की स्थिति में परिवर्तन।

8–प्रभाग की दस वर्षीय कार्य योजना से डव–टेलिंग :–

भारत सरकार द्वारा गौला, शारदा, कोसी व दाबका नदियों के चुगान की स्वीकृति के आदेश में उक्त वर्णित कार्पस निधि सृजित करने के निर्देशों से नवीन स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसका सम्पूर्ण प्राविधान प्रभागों की विभागीय कार्य योजनाओं में नहीं है। ऐसी दशा में प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा उप खनिज कार्पस निधि के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यों को प्रभागों की चालू कार्य योजनाओं से डव–टेल करने हेतु मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना की अनुमति से कार्य योजनाओं में सम्मिलित किया जायेगा।

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव

Scanned with CamScanner

संख्या– 123 /X–3–12, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, कुमाँऊउत्तराखण्ड, नैनीताल।
6. मुख्य वन संरक्षक, ऑडिट, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण, देहरादून, उत्तराखण्ड।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
8. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
9. वित्त नियंत्रक, वन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
11. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनोज चन्दन)
अपर सचिव

Scanned with CamScanner